

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी—

श्री नरेश कुमार मालव  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

277/प्रा0पत्र/2017

12.09.2017

07.05.2018

रघुवीर सिंह आ0 दयाराम जाति मीणा निवासी लुहारी कला तहसील  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

— प्रार्थी

उपस्थित :-


प्रार्थी की ओर से — श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।

—: निर्णय :-

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646-649/रीडर/2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी रघुवीर सिंह आ0 दयाराम जाति मीणा निवासी लुहारी कला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ने जयें अभिभाषक श्री कैलाश चंद गुप्ता के द्वारा दिनांक 06.09.2017 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.-01, बूदी के न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 34/2015 उनवान रघुवीर सिंह बनाम दुर्गालाल वगै0 का वाद लोक अदालत की भावना से जयें राजीनामा दिनांक 24.08.2017 को प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 96,135/- रुपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस भुगतान हेतु प्रमाण पत्र एवं प्रारूप संख्यांक 1109 दिनांक 30.08.2017 जारी किया गया है। अतः प्रार्थी को कोर्ट फीस राशि 96,135/- रुपये का भुगतान किया जावे।



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.-01 बूंदी के प्रमाण पत्र एवं प्रारूप संख्यांक 1109 दिनांक 30.08.2017 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 96,135/- रुपये (अक्षरे- छियानवे हजार एक सौ पैतीस रुपये) लौटाने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र. सं.-01 बूंदी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 25000/- रुपये के 03 नग, स्टाम्प नम्बर 011316 से 011318 तक, 5000/- रुपये के 03 नग, स्टाम्प नम्बर 136748 से 136750, 3000/- रुपये का एक नग, स्टाम्प नम्बर 040304, 1000/- रुपये का एक नग, स्टाम्प नम्बर 067555, 500/- के दो नग, स्टाम्प नम्बर 064503 से 064504, 100/- के दो नग, स्टाम्प नम्बर 047532 से 047533, 30/- रुपये के 31 नग, 05/- रुपये का एक नग, कुल नग 44, कुल स्टाम्प राशि 96,135/-रु0 राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूऐशन रूल्स 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 96,135/- रुपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 6008/- रु0 की कटौती करते हुये शेष राशि 90127/-रुपये (अक्षरे नब्बे हजार एक सौ सत्ताईस रुपये) का भुगतान प्रार्थी श्री रघुवीर सिंह आ0 दयाराम जाति मीणा निवासी लुहारी कला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को करने की स्वीकृति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव, R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बूंदी (राज0)